रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257745
CG-DL-E-08102024-257745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3984] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 7, 2024/आश्विन 15, 1946
No. 3984] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2024/ASVINA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4343(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तालाकावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1564(अ), तारीख 15 मई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1564(अ), तारीख 15 मई, 2017 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1564(अ), तारीख 15 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिती का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	- अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	विधान सभा के माननीय सदस्य, मदिकेरी निर्वाचन क्षेत्र, कोडागु जिला*	- सदस्य, *पदेन*;
(iii)	कर्नाटक राज्य सरकार के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	- सदस्य, *पदेन*;
(iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक राज्य सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य, *पदेन*;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य, *पदेन*;
(vi)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, कोडागु जिला, मदिकेरी	- सदस्य;
(vii)	किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या वन्य जीवन में एक विशेषज्ञ को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(viii)	पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(ix)	सदस्य, कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड	- सदस्य, *पदेन*;
(x)	उप वन संरक्षक, मडिकेरी वन्यजीव प्रभाग, मडिकेरी	- सदस्य सचिव, *पदेन*।"

* यदि आवश्यक हो तो कर्नाटक राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति सहित प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

6. मानीटरी समिति के कार्य.- (1) मानीटरी समिति, स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच मानीटरी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट रुपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/163/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1564 (अ), तारीख 15 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2024

S.O. 4343(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Talacauvery Wildlife Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1564(E), dated the 15th May, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1564(E), dated the 15th May, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1564(E), dated the 15th May, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(1)	Regional Commissioner, Mysore	Chairman*, 'exofficio;*
(2)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, Kodagu District *	Member, *'exofficio;*
(3)	Representative of the Department of Forest, Ecology and Environment, State Government of Karnataka	Member, *'exofficio;*
(4)	Representative of the Department of Urban Development, State Government of Karnataka	Member, *'exofficio;*
(5)	Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board	Member, *'exofficio;*
(6)	Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri	Member, *'exofficio;*
(7)	One expert in ecology or wildlife from a reputed Institution or University to be nominated by the State Government of Karnataka after every three years	Member;
(8)	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the state Government of Karnataka after every three years	Member;
(9)	Member, Karnataka State Biodiversity Board	Member, *'exofficio;*
(10)	Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri	Member Secretary, *'exofficio;*

*Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permissions from the speaker of the legislative assembly, if required.

"6. **Functions of Monitoring Committee.**—(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-V.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/163/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1564(E), dated the 15th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.08 12:14:36 +05'30'